न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 507/2023

अनवान : –

1. राजपाल पुत्र हरदतसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. हरदतसिंह पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. कौशल्या पत्नी हरदतसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. विकास कुमार पुत्र हरदतसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक:** 30/03/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 110/106 की कुल 18.1860 हैक्ट भूमि में 281/6060 हिस्सा भूमि मे से प्रतिवादी स0 1 नाम दर्ज है एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 56/55 की कुल 13.1260 हैक्ट भूमि में से 263/6563 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व 31827/13827 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 25/23 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है तथा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो की साझा परिवार की संयुक्त आय से अर्जित है। जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 का प्रतिवादीया स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा का परित्याग कर दिया है। वादग्रस्त भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है। मुताबिक बाहमी राजीनामा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 110/106 की कुल 18.1860 हैक्ट भूमि में 281/6062 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी स0 1 नाम दर्ज है एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 56/55 की कुल 13.1260 हैक्ट भूमि में से 263/6563 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व 31827/131260 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 25/23 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीया स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 का प्रतिवादीया स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 110/106 की कुल 18.1860 हैक्ट भूमि में 281/6060 हिस्सा भूमि मे से प्रतिवादी स0 1 नाम दर्ज है एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 56/55 की कुल 13.1260 हैक्ट भूमि में से 263/6563 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व 31827/13827 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा [illegible] तहसील नोहर के खाता स0 25/23 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 110/106 की कुल 18.1860 हैक्ट भूमि में से 281/6062 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 56/55 की कुल 13.1260 हैक्ट भूमि में से 263/6563 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व 31827/131260 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 25/23 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 507/2023

अनवान : –

1. राजपाल पुत्र हरदतसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. हरदतसिंह पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. कौशल्या पत्नी हरदतसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. विकास कुमार पुत्र हरदतसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 507 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 110/106 की कुल 18.1860 हैक्ट भूमि में से 281/6062 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम एवं रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 56/55 की कुल 13.1260 हैक्ट भूमि में से 263/6563 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व 31827/131260 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 25/23 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी स0 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 30/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:21:12 IST
Reason: SelfAttested